865
30/5/12

संख्या– 898 / 29–6–12–89सा / 09

प्रेषक,

बलविन्दर कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

17
30-5-12

सेवा में,

(1) समस्त मण्डलायुक्त,उत्तर प्रदेश।
(2) समस्त जिलाधिकारी,उत्तर प्रदेश।

खाद्य एवं रसद अनुभाग–6 लखनऊ: दिनॉक 28 मई, 2012

विषय–नेशनल ई–गवर्नेन्स प्लान के अन्तर्गत स्टेट सर्विस डिलीवरी गेटवे (एस.एस.डी. जी.)योजना में इलेक्ट्रॉनिक फार्म्स (ई–फार्म्स) द्वारा जन सामान्य को विभिन्न शासकीय सेवाएं जन सेवा केन्द्रों (कॉमन सर्विस सेन्टर्स) / लोकवाणी केन्द्रों / जन सुविधा केन्द्रों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–2667 / 29–6–10–89सा / 09, दिनॉक 24–11–2010 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश के द्वारा प्राविधानित सेवाएं दिनॉक 01–07–2012 से इलेक्ट्रानिक डिलीवरी सिस्टम के माध्यम से जन सामान्य को उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है। कृपया योजना को सफलतापूर्वक गो–लाइव किये जाने हेतु जनपद / तहसील / ब्लाक स्तरीय विभागीय कार्यालयों में निम्नलिखित कार्यवाहियॉ ससमय पूर्ण करायी जाय:–

(क) आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग,उ0प्र0शासन द्वारा जनपद / तहसील / ब्लाक स्तरीय विभागीय कार्यालयों में गैप इन्फ्रास्ट्रक्चर के रूप में उपलब्ध कराये गये अथवा पूर्व से उपलब्ध कम्प्यूटर संयंत्र एवं सहवर्ती उपकरण स्थापित एवं कियाशील हैं तथा उन पर नेटवर्क / इन्टरनेट कनेक्टिीविटी भी उपलब्ध है।

(ख) समस्त जिला पूर्ति अधिकारी एवं खण्ड विकास अधिकारी, जिन्हें डिजीटल सिग्नेचर हेतु अधिकृत किया गया है तथा जिनके द्वारा विभिन्न सेवाओं के लिए अपनी संस्तुति / स्वीकृति इलेक्ट्रानिक माध्यम से डिजिटल सिग्नेचर का प्रयोग करते हुए दी जाएगी, के डिजीटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट तैयार कर लिये गये हैं। यदि इन अधिकारियों के डिजीटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट अभी तक तैयार नहीं हुए हैं तो ऐसी अवस्था में उनके द्वारा निम्नवत् कार्यवही शीघ्र की जाय:–

- सम्बन्धितों द्वारा एन0आई0सी0 से डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट प्राप्त किये जाय।
- एन0आई0सी0 से डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट प्राप्त करने हेतु आवश्यक है कि निर्धारित आवेदन प्रपत्र–जो कि जनपद स्तर पर डी0आई0ओ0, एन0आई0सी0 के माध्यम से अथवा

G-o-Duwedi-2

http://nicca.nic.in वेब साइट से डाउनलोड कर प्राप्त किये जा सकते हैं– को सम्बन्धित द्वारा समस्त आवश्यक कार्यवाही पूर्ण कर जनपद स्तर पर समक्ष अधिकारी से अग्रसारित कराते हुए एन0आई0सी0 को उपलब्ध कराया जाय, जिसके उपरान्त एन0आई0सी0 द्वारा सम्बन्धित अधिकारी को डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट उपलब्ध कराया जायेगा।

- योजना के अन्तर्गत जिन अधिकारियों के लिए डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट आवश्यक है तथा यदि उनको किसी अन्य योजना में डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट उपलब्ध कराये गये है, तो ऐसी स्थिति में उन्हें पुनः डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, उनके द्वारा पूर्व में प्राप्त डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट का ही प्रयोग किया जाय। उनके द्वारा यह भी जॉच कर ली जाय कि डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट की अवधि योजना के गो–लाइव होने से पूर्व समाप्त तो नहीं हो रही है। अवधि समाप्त होने की दशा में उनके द्वारा उपरोक्त प्रकियानुसार अपने डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट का नवीनीकरण करा लिया जाना आवश्यक होगा।

3– समस्त जिला पूर्ति अधिकारी एवं खण्ड विकास अधिकारी तथा कार्य से जुड़े अन्य कार्मिकों द्वारा एन0आई0सी0 से यथा आवश्यक प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया गया है। यदि किसी कारणवश उनके द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया गया है तो वह जनपद के सम्बन्धित डी0आई0ओ0 / एस0आई0ओ0, एन0आई0सी0 से सम्पर्क स्थापित कर प्रशिक्षण आदि प्राप्त करना सुनिश्चित कर लें।

4– गो–लाइव के पूर्व अर्थात दिनॉक 15–6–2012 के उपरान्त एन0आई0सी0 के स्थानीय अधिकारी के समन्वय से विभागीय हार्डवेयर पर स्टेट पोर्टल एवं ई–फार्म्स का उपयोग करते हुए पायलट आधार पर टेस्ट रन की कार्यवाही कर ली जाय, ताकि गो–लाइव के उपरान्त सेवाओं को प्रदान करने में किसी परेशानी का सामना न करना पड़े।

5– यह भी सुनिश्चित किया जाय कि समस्त डिलीवरी प्वाइंट्स यथा जन सेवा केन्द्रों (कामन सर्विस सेन्टर्स) / लोकवाणी केन्द्रों तथा जन सुविधा केन्द्रों द्वारा इलेक्ट्रानिक डिलीवरी से सेवाओं को प्रदान किये जाने हेतु समस्त आवश्यक कार्यवाहियॉ यथा इन्टीग्रेशन इत्यादि पूर्ण कर ली गयी है।

6– राज्य में कॉमन सर्विस सेन्टर योजना के अन्तर्गत चयनित सर्विस सेन्टर एजेन्सीज के साथ हुए अनुबन्ध के अनुसार डिलीवर की जाने वाली विभिन्न प्रकार की ई–गवर्नेन्स सेवाओं के लिए निम्न शुल्क प्राविधानित है:–

क्र.सं.	ई–गवर्नेन्स सेवा का नाम	कामन सर्विस सेण्टर द्वारा नागरिक से लिये जाने वाला शुल्क (प्रति सेवा रू.)
1.	नया राशन कार्ड निर्गत किया जाना	10
2.	राशन कार्ड का नवीनीकरण किया जाना	10
3.	राशन कार्ड में संशोधन किया जाना	10
4.	राशन कार्ड का समर्पण किया जाना	10

7– कृपया उपर्युक्तानुसार समस्त कार्यवाही शीर्ष प्राथमिकता पर पूर्ण कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

बलविन्दर कुमार
प्रमुख सचिव।

संख्या–898(1)/29–6–2012तददिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– सचिव,आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग,उ0प्र0शासन।
2– आयुक्त,खाद्य एवं रसद विभाग,उ0प्र0लखनऊ।
3– राज्य समन्वयक,सेन्टर फॉर ई–गवर्नेन्स,उ0प्र0अपट्रान बिल्डिंग, निकट गोमती बैराज,गोमती नगर,लखनऊ।
4– प्रबन्ध निदेशक,उ0प्र0इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0 अशोक मार्ग,लखनऊ।
5– उप महानिदेशक एवं एस0आई0ओ0, एन0आई0सी0 योजना भवन,लखनऊ।
6– समस्त जिला पूर्ति अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी को इस आशय से कि वह शासनादेश की व्यवस्थाओं का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
7– गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(सुभाष चन्द्र त्रिवेदी)
विशेष सचिव।